an>

Title: Need to curb anti-India sloganeering.

श्री निशिकान्त दुबे (गोड्डा) : उपाध्यक्ष महोदय, यह आजादी हम लोगों को बड़े कष्ट से मिली है और इसमें झण्डे का स्थान बहुत बड़ा है। हमारा तिरंगा झण्डा देश की आन, बान और शान का प्रतीक है, लेकिन आज जो सिचुएशन है, अगर सूडान में कुछ हो जाए, ईरान में कुछ हो जाए, इराक में कुछ हो जाए या दुनिया के किसी भी कोने में कुछ हो जाए तो यह फैशन हो गया है कि यहां पाकिस्तानी झण्डा लहराया जाता है। पाकिस्तानी झण्डा लहराने के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं, वर्ष 1916 से लेकर 1947 तक इस देश की जो स्थिति थी, जिसके कारण भारत का विभाजन हुआ, आज उसी तरह के लोग, उन तत्वों को वोट बैंक की राजनीति के कारण आगे बढ़ाते हैं। अभी एक घटना हुई है, आपको पता है कि पटना में पाकिस्तानी झण्डा लहराया गया। अभी झारखण्ड में साहेबगंज में पाकिस्तानी झण्डा लहराया गया, कश्मीर में बार-बार लहराया जाता है, महाराÂष्ट्र में लहराया जाता है।

मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि इस तरह के फैशन को रोकना चाहिए। भारत सरकार से मेरी डिमाण्ड है कि जो भी पाकिस्तानी झण्डा लहराए, उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लगाना चाहिए, उस पर मकोका से भी सख्त कानून लगाकर, जेल में बन्द करना चाहिए। इस तरह की व्यवस्था भारत सरकार को करनी चाहिए।

HON. DEPUTY-SPEAKER: S/Shri Bhairon Prasad Mishra, Shri Sharad Tripathi, Shri Shrirang Appa Barne and Kunwar Pushpendra Singh Chandel are permitted to associate with the issue raised by Shri Nishikant Dubey.